सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

द्वारा

निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

विषय : आधी आबादी के अस्तित्व का संकट तथा मानव अधिकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकारों संबंधी विभिन्न विषयों पर हिंदी में सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **'आधी आबादी के अस्तित्व का संकट तथा मानव अधिकार'** विषय पर हिन्दी में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता की नियमावली से संबंधित अनिवार्य बातें निम्नलिखित हैं :

(i) प्रतियोगिता में केवल भारत के नागरिक ही हिस्सा ले सकते हैं।

(ii) निबंध, पूर्णतः कम्प्यूटर से टाइप होना चाहिए तथा चार प्रतियों में अच्छी प्रकार से अलग–अलग **Spiral Binding** किया हुआ होना चाहिए। इनमें से 3 प्रतियों में लेखक का नाम तथा अन्य विवरण नहीं लिखा होना चाहिए, केवल एक प्रविष्टि पर लेखक के आवासीय पते के साथ–साथ दूरभाष संख्या एवं पिन कोड अवश्य लिखा होना चाहिए।

(iii) प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियों को भेजने की अंतिम तिथि **30 जून, 2016** निर्धारित की गई है।

(iv) आयोग को प्राप्त निबंधों पर सर्वाधिकार (कॉपीराइट) उनके लेखक/लेखकों का होगा।

(v) प्रतियोगिता के सभी विजेता प्रतिभागियों को एक समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा।

(vi) निबंध प्रतियोगिता हेतु **न्यूनतम शब्द संख्या 7500** निर्धारित की गई है।

(vii) प्रतियोगिता हेतु विजेताओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः **12,000/–, 8,000/– तथा 6,000/– रु0 का नकद पुरस्कार** के साथ–साथ स्मृति चिह्न एवं शाल द्वारा एक समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित लेखकों द्वारा लिखे गए किसी एक **'उत्कृष्ट निबंध'** को विशेष पुरस्कार के रूप में **रु0 10,000/–** की राशि प्रदान की जाएगी।

(viii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित लेखक/लेखिका अपनी प्रविष्टि के साथ जाति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति अवश्य ही संलग्न करें अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में रखा जागए।

(ix) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियाँ विचारणीय नहीं होंगी।

(x) पुरस्कृत निबंधों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी तथा लेखक को पत्र के द्वारा भी सूचित किया जाएगा।

(xi) किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(xii) आयोग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान में छूट देने का अधिकार होगा।

(xiii) प्रतियोगिता हेतु निबंध को आयोग के **सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी–ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023** को भेजना होगा।

....